



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय

सचिव,
बियानी शिक्षण समिति,
आर-4 सैक्टर-3, विद्याधर नगर,
जयपुर-302039
Email: chairman@biyanicolleges.org

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/2020/35813

दिनांक: 23/07/20

विषय:-व्याख्याताओं के अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक: BSS/2019-20/3557 दिनांक 06.03.2020 के सन्दर्भ में लेख है कि बियानी लॉ कॉलेज आर-4 सैक्टर-3, विद्याधर नगर जयपुर में व्याख्याताओं के चयन हेतु महाविद्यालय द्वारा दिनांक 21.12.2020 को चयन समिति का आयोजन किया गया था। जिसमें पूर्व प्राचार्य डॉ. एन. एल. गुर्जर को प्राचार्य के रूप में उपस्थित दर्शाया गया है जबकि डॉ. एन.एल. गुर्जर के त्याग पत्र के अनुसार दिनांक 20.12.2019 को ही आपके महाविद्यालय से वे कार्यमुक्त हो गये थे। चयन समिति के आयोजन तिथि से पूर्व त्याग पत्र देकर कार्यमुक्त होने कारण प्राचार्य के रूप में डॉ. गुर्जर की उपस्थिति वैध नहीं होने के कारण चयन समिति की अनुसंधान मान्य नहीं है।

अतः उक्त चयन समिति द्वारा व्याख्याताओं के चयन को अनुमोदित करना सम्भव नहीं है।

कुलसचिव

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/2020/35814-16

दिनांक: 23/07/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समन्वयक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को आग्रह कर लेख है कि उपरोक्त व्याख्याताओं के अनुमोदन लिंक पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Raj Jais
उप कुलसचिव
(शैक्षणिक द्वितीय) 14/07/20